दिनांक 1 दिसम्बर, 1987

संख्या श्रो० वि०/एफडी/139-87/42163.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० मूद एण्ड वारेन प्रा० लि०, प्लाट नं० 72, सैक्टर 6, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री राजवंश पाण्डे, पुत्र श्री अनिरुद पाण्डे, पटेल नगर सैक्टर 24, दुर्गा मन्दिर के पास, फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/मामले हैं न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं:—

क्या श्री राजवंश पाण्डे की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० श्रो० वि०/एफडी/169-87/47859.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि (1) मुख्य प्रशासक, हुडा, पंचकुला (हरियाणा), (2) कार्यकारी अभियन्ता, हुडा वाटर सप्लाई अनुभाग सब-डिविजन नं० 1, सैक्टर 15, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री मूर्ती राम, पुत्र श्री रती राम, मार्फत पुरनानन्द, मकान नं० 1014, बाबा नगर, नजदीक तालाब रोड़, ओल्ड फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले हैं अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/मामले हैं, न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री मूर्ती राम की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० श्रो० वि०/एफडी/168-87/47867.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि (1) मुख्य प्रशासक हुडा (हरियाणा), पंचकुला, (2) कार्यकारी अभियन्ता, हुडा/वाटर सप्लाई अनुभाग सब डिविजन नं० 1, सैक्टर 15, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री समुन्द्र सिंह, पुत्र श्री रनबीर सिंह, मार्फत पुरनानन्द, मकान नं० 1014, बाबा नगर नजदीक तालाब रोड, ओल्ड फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उप धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धक तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/मामले है न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री समुन्द्र सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

आर० एस० अग्रवाल,
उप-सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग ।